**हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 9 दिसम्बर, 2015

**संख्या लैज. 27/2015.**– दि हरियाणा गोवंश संरक्षण ऐण्ड गोसंवर्धन ऐक्ट, 2015 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 26 नवम्बर, 2015 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

**2015 का हरियाणा अधिनियम संख्या 20**

**हरियाणा गोवंश संरक्षण तथा गोसंवर्धन अधिनियम, 2015**
**हरियाणा राज्य में गोवंश संरक्षण तथा गोसंवर्धन उपलब्ध करवाने हेतु तथा दुर्बल, घायल, घूमन्तु तथा अलाभकर गायों को स्वीकार करने, रखने, रख–रखाव करने तथा देख–रेख करने हेतु संस्थाएं स्थापित करने के लिए**
**अधिनियम**

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा गोवंश संरक्षण तथा गोसंवर्धन अधिनियम, 2015, कहा जा सकता है।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''गोमांस'' से अभिप्राय है, किसी भी रूप में गाय का मांस इसमें मुहरबन्द डिब्बों में रखा तथा राज्य में आयातित गाय का मांस भी षामिल है ;

(ख) ''गोमांस उत्पाद'' से अभिप्राय है, गोमांस से तैयार किया गया उत्पाद ;

(ग) ''गाय'' से अभिप्राय है तथा इसमें शामिल है सांड, बैल, वृषभ, बछिया या बछड़ा तथा निःशक्त, बीमार अथवा बांझ गाय ;

(घ) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, सम्बद्ध उप–मण्डल मजिस्ट्रेट तथा इसमें इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किया कोई अन्य अधिकारी भी शामिल है ;

(ङ) ''विभाग'' से अभिप्राय है, सरकार का पशुपालन विभाग ;

(च) ''निर्यात'' से अभिप्राय है, राज्य से किसी अन्य स्थान पर गाय को बाहर ले जाना ;

(छ) ''गोवंश'' से अभिप्राय है, गाय या इसकी सन्तान ;

(ज) ''गोसंवर्धन'' से अभिप्राय है, देशी गाय की नस्ल का संरक्षण तथा विकास ;

(झ) ''सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार ;

(ञ) ''देशी नस्ल'' से अभिप्राय है, देशी गाय जीवसंख्या जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली की नस्ल पंजीकरण समिति द्वारा समय–समय पर नस्ल के रूप में मान्यताप्राप्त है ;

(ट) ''विहित'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित ;

(ठ) ''संरक्षण'' से अभिप्राय है, गोवंश की सुरक्षा तथा संरक्षण ;

(ड) ''वध'' से अभिप्राय है, किसी भी ढंग द्वारा, चाहे जो भी हो, हत्या करना और इसमें शामिल है विकलांग करना तथा शारीरिक क्षति की यातना पहुंचाना जिससे सामान्य अनुक्रम में मृत्यु हो सकती है ;

(ढ) ''राज्य'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य।

गाय वध का प्रतिषेध।

**3.** तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि अथवा किसी प्रथा अथवा रूढ़ि में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति राज्य में किसी भी स्थान पर किसी गाय का/ को न तो वध करेगा अथवा न ही वध करवाएगा अथवा वध के लिए न तो पेश करेगा अथवा न ही पेश करवाएगा :

परन्तु दुर्घटना अथवा आत्म प्रतिरक्षा में किसी गाय की मृत्यु हो जाती है, तो इस अधिनियम के अधीन वध के रूप में नहीं समझी जाएगी।

अपवाद।

**4.** (1) धारा 3 में दी गई कोई भी बात, किसी गाय के वध के लिए लागू नहीं होगी, जहां किसी गाय के लिए क्षेत्र में विभाग के पंजीकृत पशु–चिकित्सा व्यवसायी द्वारा विहित प्ररूप में प्रमाण–पत्र जारी किया गया है कि,–

(क) जिसकी पीड़ा ऐसी है कि उसका नाश वांछनीय हो गया है; अथवा

(ख) जो किसी ऐसे अधिसूचित सांसर्गिक या संक्रामक रोग से पीड़ित है; अथवा

(ग) जो चिकित्सा, पशु–चिकित्सक और जन स्वास्थ्य अनुसंधान के हित में प्रयोग के अध्यधीन है।

(2) जहां उपरोक्त उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट कारणों के लिए किसी गाय का वध आशयित है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक होगा कि वह प्रथम उक्त उप–धारा के अधीन यथा वर्णित लिखित में प्रमाण–पत्र प्राप्त करें।

(3) प्राधिकृत संविदाकार द्वारा, वध की गई गायों से अन्यथा, मृत गायों से चर्म तथा खाल उतारना गाय वध के रूप में अर्थ नहीं लगाया जाएगा :

परन्तु वध की गई गायों से अन्यथा, मृत गायों से चर्म तथा खाल को उतारने या परिवहन में नियोजित प्राधिकृत संविदाकार सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का प्राधिकार प्राप्त करेगा।

निर्यात पर प्रतिबन्ध।

**5.** कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में या जानते हुए कि गाय का वध किया जाएगा या उसके वध किए जाने की सम्भावना है, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अपने अभिकर्ता या सेवक या उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से वध के प्रयोजन के लिए गाय निर्यात नहीं करेगा या निर्यात नहीं करवाएगा।

निर्यात के लिए परमिट।

**6.** (1) गाय का निर्यात करने का इच्छुक कोई व्यक्ति गऊओं की संख्या तथा राज्य का नाम जिसे ये निर्यात की जानी प्रस्तावित हैं सहित कारण कथित करते हुए जिसके लिए ये निर्यात की जानी प्रस्तावित हैं, इस निमित्त ऐसे अधिकारी को, जिसे सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियुक्त करे, परमिट के लिए आवेदन करेगा। वह घोषणा भी दायर करेगा कि गऊओं, जिनके निर्यात के लिए परमिट अपेक्षित है, का वध नहीं किया जाएगा और परमिट ऐसी रीति में प्राप्त करेगा, जो विहित की जाए।

(2) उप–धारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी, आवेदक के निवेदन की प्रमाणिकता के बारे में अपनी सन्तुष्टि करने के बाद, आवेदन में विनिर्दिष्ट गऊओं के निर्यात हेतु उसको परमिट प्रदान करेगा।

(3) परमिट जारी करने के लिए फीस ऐसी होगी जो विहित की जाए।

(4) उस राज्य के लिए गऊओं के निर्यात हेतु कोई परमिट जारी नहीं किया जाएगा जहां विधि द्वारा गाय वध प्रतिषिद्ध नहीं है।

विषेष परमिट।

**7.** (1) सरकार को ऐसे मामलों में गाय के निर्यात के लिए विशेष परमिट जारी करने की शक्ति होगी जहां उसकी राय में ऐसा करना लोक हित में होगा।

(2) विशेष परमिट जारी करने हेतु फीस ऐसी होगी, जो विहित की जाए।

गोमांस के विक्रय का प्रतिषेध।

**8.** तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति ऐसे औषधीय प्रयोजनों तथा ऐसे रूप में, जो विहित किए जाएं, के सिवाय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गोमांस या गोमांस उत्पादों का विक्रय नहीं करेगा या विक्रय करने या विक्रय करवाने के लिए रखेगा नहीं, भण्डारण नहीं करेगा, परिवहन नहीं करेगा या पेशकश नहीं करेगा।

गोसंवर्धन।

**9.** सरकार देशी गाय की नस्ल के संरक्षण और उन्नत करने के लिए स्कीम, परियोजना अथवा कार्यक्रम बनाएगी और देशी गायों की नस्ल से प्राप्त दूध या दुग्ध उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा विपणन पर प्रोत्साहनों को उपलब्ध करवाएगी।

संस्था की स्थापना।

10. (1) सरकार, अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण, जब सरकार द्वारा ऐसा निर्देश किया जाए, दुर्बल, घायल, घूमन्तु तथा अलाभकर गऊओं को स्वीकार करने, रखने, रख–रखाव करने तथा देख–रेख करने हेतु संस्था स्थापित करेगी/करेगा।

(2) सरकार ऐसी संस्था को पर्याप्त वित्तीय तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाएगी।

फीस के प्रभारों का उद्ग्रहण।

11. राज्य सरकार, अथवा स्थानीय प्राधिकरण, यदि सरकार द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया जाए, संस्था में दुर्बल, घायल, घूमन्तु तथा अलाभकर गऊओं को स्वीकार करने, रखने, रख–रखाव करने तथा देख–रेख करने हेतु ऐसी फीस उद्गृहित कर सकती है/ कर सकता है, जो विहित की जाए।

परीक्षण तथा विश्लेषण हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना।

12. (1) सरकार पशुओं की अन्य जातियों के मांस से गोमांस के विभेदीकरण हेतु, दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के विभिन्न संघटकों के परीक्षण तथा पहचान और दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के पौष्टिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहनों को उपलब्ध करवाने हेतु क1 और क2 दुग्ध के परीक्षण तथा विभेदीकरण हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना करेगी।

**व्याख्या** .– इस उपधारा के प्रयोजन हेतु, क1 तथा क2 दुग्ध से अभिप्राय है, क्रमशः बीटा–केसीन दुग्ध प्रोटीन के क1 तथा क2 भिन्न आनुवंशिक रखने वाली गऊओं से प्राप्त दुग्ध।

(2) उप–धारा (1) के अधीन स्थापित ऐसी प्रयोगशालाओं की विश्लेषण रिपोर्ट इस अधिनियम के अधीन किसी जांच, विचारण अथवा अन्य कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जाएगी।

अपराध।

13. (1) जो कोई भी धारा 3 अथवा 4 के उपबन्धों की उल्लंघना करता है या उल्लंघना का प्रयास करता है या उल्लंघना के लिए अवप्रेरित करता है, तो वह अवधि जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी और जो दस वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, के लिए कठोर कारावास से तथा जुर्माना जो तीस हजार रुपए से कम नहीं होगा और एक लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय अपराध का दोषी होगा। जुर्माने के भुगतान की चूक की दशा में, अतिरिक्त कारावास, जो एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माने के बदले में अधिरोपित किया जाएगा।

(2) जो कोई भी धारा 5 के उपबन्धों की उल्लंघना करता है, या उल्लंघना का प्रयास करता है या उल्लंघना के लिए अवप्रेरित करता है, तो वह अवधि जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी और सात वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, के लिए कठोर कारावास से तथा जुर्माना जो तीस हजार रुपए से कम नहीं होगा और सत्तर हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय अपराध का दोषी होगा। जुर्माने के भुगतान की चूक की दशा में, अतिरिक्त कारावास, जो एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माने के बदले में अधिरोपित किया जाएगा।

(3) जो कोई भी धारा 8 के उपबन्धों की उल्लंघना करता है, या उल्लंघना का प्रयास करता है या उल्लंघना के लिए अवप्रेरित करता है, तो वह अवधि जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी और जो पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, के कठोर कारावास से तथा जुर्माना जो तीस हजार रुपए से कम नहीं होगा और पचास हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय अपराध का दोषी होगा। जुर्माने के भुगतान की चूक की दशा में, अतिरिक्त कारावास, जो एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माने के बदले में अधिरोपित किया जाएगा।

सबूत का भार।

14. धारा 13 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के विचारण में, यह साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा कि वध की गई गाय धारा 4 की उप–धारा (1) के खण्ड (क), (ख) अथवा (ग) में विनिर्दिष्ट वर्ग से सम्बन्धित थी।

अपराधों का संज्ञेय तथा अजमानतीय होना।

15. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, धारा 13 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होगा।

प्रवेश करने, अभिग्रहण करने इत्यादि की शक्ति।

16. (1) कोई पुलिस अधिकारी जो उप–निरीक्षक की पदवी से नीचे का न हो या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों की अनुपालना सुनिश्चित करने की दृष्टि से अथवा अपनी सन्तुष्टि करने के लिए कि इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन किया गया है–

(क) गऊओं के निर्यात के लिए प्रयोग किए गए या प्रयोग किए जाने के लिए आशयित किसी वाहन में प्रवेश कर सकता है, उसे रोक सकता है और छानबीन कर सकता है;

(ख) ऐसी गाय का, जिसके संबंध में उसे शंका है कि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है अथवा किया जाने वाला है, ऐसे वाहन सहित जिसमें ऐसी गाय पाई जाती हैं, अभिग्रहण कर सकता है, और उसके बाद इस प्रकार अभिग्रहण की गई गाय को न्यायालय में पेश करने को सुनिश्चित करने के लिए तथा ऐसी पेशी के समय सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकता है;

(ग) गाय के वध के लिए प्रयोग किए जाने वाले या प्रयोग किए जाने के लिए आशयित किन्हीं परिसरों में प्रवेश कर सकता है तथा छानबीन कर सकता है तथा गाय के वध और निर्यात से सम्बन्धित क्रियाकलापों के बारे में किन्हीं दस्तावेजों का अभिग्रहण कर सकता है;

(2) छानबीन से संबंधित, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2), की धारा 100 के उपबन्ध, यथा सम्भव, इस अधिनियम के अधीन छानबीन तथा अभिग्रहण को लागू होंगे।

वाहनों की जब्ती।

**17.** (1) जब कभी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया जाता है, तो ऐसे अपराध की चूक में प्रयोग किया गया कोई वाहन किसी पुलिस अधिकारी जो उप–निरीक्षक की पदवी से नीचे का न हो अथवा सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जब्त किए जाने का दायी होगा।

(2) जहां इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध की चूक के सम्बन्ध में उप–धारा (1) में निर्दिष्ट कोई वाहन जब्त किया जाता है, तो उसके सम्बन्ध में रिपोर्ट, इसे जब्त करने वाले व्यक्ति द्वारा अनुचित देरी किए बिना सक्षम प्राधिकारी को की जाएगी और चाहे ऐसे अपराध की चूक के लिए अभियोजन संस्थित किया गया है अथवा नहीं, सक्षम प्राधिकारी, क्षेत्र जहां उक्त वाहन जब्त किया गया था की अधिकारिता रखने वाला, यदि सन्तुष्ट हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध की चूक के लिए उक्त वाहन प्रयोग किया गया था, तो वह उक्त वाहन को जब्त करने के आदेश कर सकता है :

परन्तु उक्त वाहन को जब्त करने का आदेष करने से पूर्व, उक्त वाहन के स्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

(3) जब कभी इस अधिनियम के अधीन अपराध की चूक के सम्बन्ध में उप–धारा (1) में यथा निर्दिष्ट कोई वाहन जब्त किया जाता है, तो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकरण के सिवाय, किसी न्यायालय, अभिकरण अथवा अन्य प्राधिकरण को ऐसे वाहन का कब्जा, सुपुर्दगी, निपटान, छोड़ने के सम्बन्ध में आदेश करने की अधिकारिता नहीं होगी।

(4) जहां सक्षम प्राधिकारी की राय है कि यह लोक हित में समीचीन है कि उप–धारा (1) में यथा निर्दिष्ट, इस अधिनियम के अधीन अपराध की चूक के लिए जब्त किए गए वाहन को सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जाएगा, तो वह इसे बेचने के लिए किसी भी समय निर्देश कर सकता है :

परन्तु जब्त किए गए वाहन को बेचने के लिए ऐसे निर्देश देने से पूर्व, उक्त वाहन के स्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

(5) उप–धारा (2) अथवा उप–धारा (4) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर सम्बद्ध जिला उपायुक्त को अपील कर सकता है।

(6) सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया जब्ती का कोई आदेश किसी दण्ड की पीड़ा को नहीं रोकेगा जिससे उसके द्वारा प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दायी है।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

18. इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

नियम बनाने की शक्ति।

**19.** (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यरूप देने के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकती है।

(2) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित का उपबन्ध किया जा सकता है,–

(क) शर्तें तथा परिस्थितियां, जिनके अधीन धारा 4 के अधीन गौ–वध किया जा सकता है ;

(ख) रीति, जिसमें धारा 4 के खण्ड (ख) के अधीन बीमारी अधिसूचित की जाएगी ;

(ग) रीति, जिसमें धारा 4 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी ;

(घ) धारा 4 में वर्णित प्रमाण–पत्र का प्ररूप तथा अन्तर्वस्तु तथा उसे प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ;

(ङ) प्ररूप जिसमें परमिट प्रदान किया जाना है तथा धारा 6 तथा 7 के अधीन ऐसा परमिट जारी करने के संबंध में फीस ;

(च) रीति, जिसमें तथा शर्तें जिनके अधीन धारा 8 के अधीन गोमांस अथवा गोमांस उत्पादों का विक्रय किया जाना है ;

(छ) धारा 10 में निर्दिष्ट संस्था की स्थापना, देख–रेख, प्रबन्धन, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण से सम्बन्धित मामले ;

(ज) इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता रखने वाले किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कर्त्तव्य, ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ;

(झ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाना है या किया जा सकता है।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

**20.** (1) पंजाब गौ–वध प्रतिषेध अधिनियम, 1955 (1956 का पंजाब अधिनियम 15), हरियाणा राज्यार्थ, इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन की गई कोई बात अथवा की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

(3) उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए हरियाणा गौ–वध प्रतिषेध नियम, 1972, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे जब तक इस अधिनियम के अधीन नये नियम नहीं बनाए जाते हैं।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

53900—L.R.—H.G.P., Chd.